तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **सुरेन्द्रसिंह चौधरी बनाम लो.सू.अ.(अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर)** सू.अ.अ. अपील संख्या 248/2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16-08-2022	अपीलार्थी सुरेन्द्रसिंह चौधरी अधिवक्ता, पता ए–9, जय अम्बे नगर, गोपालपुरा मोड़, टोंक रोड़, जयपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 13.06.2022 में (1) आर.टी.डी.सी होटल घूपर, जोधपुर से जिलाधीश ने संलग्न केडिट बिलों की उधार सुविधा ली थी। इस उधार सुविधा को आर टी डी. सी. को भुगतान करने के लिये आज दिनांक 13.06.2022 तक जिला धीश कार्यालय ने जो कार्यवाही की उन समस्त दस्तावेज की फोटो प्रति व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला कलक्टर कार्यालय जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1167 दिनांक 01.08.2022 को रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना् बाबत् इस कार्यालय के प्रभारी अधिकारी, सामान्य शाखा, कार्यालय हाजा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का आवेदन पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग(ग्रुप–1) राज. जयपुर को इस कार्यालय के पत्रांक 987 दिनांक 13.07.2022 द्वारा अंतरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था, जिसकी प्रति प्रार्थी को भी पृष्ठांकित की गई। चूंकि लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित न होकर राज्य लोक सूचना अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग (ग्रुप–1) जयपुर, राजस्थान कार्यालय से संबंधित होने के कारण विधिक प्रकिया के तहत प्रार्थी का सूचना का अधिकार प्रार्थना पत्र स्थानान्तरित कर दिया गया तथा प्रार्थी को भी पत्र सूचनार्थ प्रेष्तिा किया गया। अतः लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य है जो निरस्त की जाती हे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	